

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियाँ।

CA Spl SC/ST Case No. 118 of 2023  
CIS No.118 of 2023

दिनांक : 12.11.2024

परिवादी की ओर से समयावेदन उसके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल किया गया परन्तु उक्त समयावेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित नहीं किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद दिनांक 24.10.2024 से शपथ पर बयान हेतु निश्चित है, परन्तु विगत कई तिथि अनवरत रूप से एक ही प्रकार के तथ्य अंकित करते हुए दाखिल किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि अगली निश्चित तिथि को सदैव उपस्थित होकर शपथ पर बयान अंकित करवाए अन्यथा उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

वाद दिनांक 18.12.2024 वास्ते शपथ पर बयान हेतु।

(लेखापित)

ह0 / -

(अतुल कुमार सिंह)

विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट, पूर्णियाँ